

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन -सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में आवंटित कम्प्यूटर प्रिंटर H.P. Model P1008, 04 नग जिनकी वारंटी समाप्त हो चुकी है उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर/ फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मों को कोटेशन के लिये दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

- 1-- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारात कासगंज में दिनांक 27.09.2021 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।
- 2--कोटेशन दिनांक 27.09.2021 को सायंकाल 4.30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।
- 3-- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 4-- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 5--कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 6--कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 7-- भुगतान कम्प्यूटर उपकरणों की मरम्मत के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 8--कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का छेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 9--कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10--कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारात जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक- .09.2021

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष क्रय समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 01-- जिला सूचना अधिकारी कासगंज का G.O. No. 562/ उन्नीस -2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 2--18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 3--कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4--समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।
- 5--नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- 10 .09.2021

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष क्रय समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कासगंज।